६. **पता करें कि और गर्भवती कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है।**
अन्य महिला कर्मचारियों से बात करें जिनके साथ गर्भावस्था के दौरान बुरा व्यवहार किया गया हो।

७. **अपना उत्तम काम जारी रखें।**

८. **अपने काम का रिकार्ड रखें।**
अपने काम के मूल्यांकन की कापीज़ घर में रखें। साथ ही कोई भी चिट्ठी या मेमो जिसमें आपके काम की प्रशंसा की गई हो, उनकी कापीज़ भी रखिए। आपके बॉस अपनी सफाई में आपके बुरे काम का बहाना बना सकते हैं।

९. **समान अवसर आयोग (EOC) में रिपोर्ट दर्ज करें।**
आयोग आपकी सुरक्षा के लिए बना है। हमारे साथ 2511-8211 पर संपर्क करें।

१०. **अपने कानूनी अधिकारों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें।**
आप वकील से सलाह ले सकते हैं या ज़िला अदालत में कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

आप गर्भावस्था भेदभाव रोक सकते हैं

कई महिलाओं ने भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपनी नौकरीपेशा ज़िन्दगी को सुधारा है। पहला कदम है अपने कानूनी अधिकारों को जानना। आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

- ज़िला न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
- EOC के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सुलह द्वारा समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। समझौते का समाधान अन्य रूपों में हो सकता है – व्यवहार में बदलाव; क्षमायाचना पत्र; समान अवसर नीतियों का लागू करना; या वित्तीय मुआवज़ा।
- यदि सुलह सफल नहीं होता, तो आप कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। समान अवसर आयोग को अपने कर्मचारियों से बात करने का निमंत्रण दें या आयोग में हो रहे निर्धारित प्रेसेन्टेशन में भाग लेने के लिए संपर्क करें।

सहायता कहाँ मिलेगी?

समान अवसर आयोग आपकी सहायता के लिए है। भेदभाव कानूनों पर हमारे कई प्रकाशन हैं जैसे “विकलांगता भेदभाव अध्यादेश और मैं”, “लिंग भेदभाव अध्यादेश और मैं”, “ पारिवारिक स्थिति भेदभाव अध्यादेश और मैं”। गर्भावस्था भेदभाव, यौन उत्पीड़न और अन्य क्षेत्रों से संबंधित “अपने अधिकार जानिए” श्रंखला भी आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध है।

Equal Opportunities Commission

16/F., 41 Heung Yip Road,
Wong Chuk Hang,
Hong Kong
Tel : 2511 8211
Fax : 2511 8142
Website: http://www.eoc.org.hk

अपने अधिकार जानिए

गर्भावस्था भेदभाव

अपने अधिकार जानिए

गर्भावस्था भेदभाव

क्या कार्यस्थल में आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि आप गर्भवती हैं? लिंग भेदभाव अध्यादेश गर्भवती कर्मचारियों और गर्भवती नौकरी याचकों को भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है।

क्या कार्यस्थल पर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है?

- आपको नौकरी नहीं दी गई क्योंकि आप गर्भवती थीं।
- आपको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि आप गर्भवती थीं।
- आपकी गर्भावस्था की जानकारी मिलने के बाद आपके साथ कम अनुकूल व्यवहार किया गया।
- आपका तबादला या तरक्की रोक दी गई क्योंकि आप गर्भवती थीं।
- आपको मेटर्निटि अनुग्रह नहीं दिए गए क्योंकि आपकी शादि नहीं हुई (वैवाहिक स्थिति भेदभाव के अंतर्गत)।

आप अकेली नहीं हैं। हर साल, कई महिलाएँ गर्भावस्था भेदभाव का सामना करतीं हैं और समान अवसर आयोग (EOC) के पास शिकायत दर्ज करती हैं। गर्भावस्था भेदभाव न केवल दुखदायक है, यह गैर-कानूनी भी है।

लिंग भेदभाव अध्यादेश के अधीन आपको सुरक्षा प्राप्त है

लिंग भेदभाव अध्यादेश गर्भावस्था भेदभाव से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भावस्था भेदभाव नागरिक कानून के अंतर्गत एक अपराध है।

कानून के अनुसार, नौकरीदाता को निम्नलिखित निषेध हैं:

- गर्भावस्था के कारण किसी को नौकरी देने से इंकार करना
- किसी गर्भवती कर्मचारी के तबादले या ट्रेनिंग के अवसरों पर रोक डालना
- किसी गर्भवती कर्मचारी को नौकरी से निकालना या छोडने पर मजबूर करना
- मेटर्निटि लीव के बाद वापस आने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना
- मेटर्निटि लीव के कारण पिछले किए गए काम का श्रेय न देना

यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो आप क्या कर सकते हैं?

१. **घटना की सभी जानकारी लिख लें।**
जितनी जल्दी हो सके, घटना की तिथि, समय और स्थान की जानकारी लिख लें। घटना के दौरान क्या कहा गया और कौन मौजूद था, इस जानकारी को भी शामिल कीजिए। इस अभिलेख की कॉपी घर में रखिए। अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहेंगी तो यह काम में आएगा।

२. **अपने दोस्तों और परिवार का सहारा लें।**

नौकरी पर अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना किसी के लिए भी दुखदायक हो सकता है। अपना ख्याल रखिए। इस बारे में सोचें कि आप क्या कदम उठाना चाहती हैं और इस के लिए औरों की मदद लें।

३. **अगर आप किसी यूनियन में शामिल हैं तो यूनियन के प्रतिनिधी से बात कीजिए।**

४. **किसी महिला एन जी ओ संस्था से बात कीजिए।**

५. **अपने नौकरीदाता से बात कीजिए।**

हो सकता है कि आपके कार्यस्थल में समान अवसर अफ्सर हो या शिकायत करने की कोई प्रक्रिया हो। अपने मानव संसाधन विभाग से बात करें या कर्मचारी हैंडबुक में देखें।